

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ.-वैर/शिकायत/2017/ 3798 जयपुर,दिनांक: 5.10.17

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक 3299 दिनांक 29.08.2017 द्वारा श्री रतन सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति वैर, जिला भरतपुर को आदेशो की प्रतिकक्षा में किया जाकर इनका मुख्यालय पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर किया गया था, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,



(हेमन्त स्वरूप माथुर)
शासन उप सचिव (जाँच)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति वैर, जिला भरतपुर।
5. श्री रतन सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पं.स. वैर (भरतपुर) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपनी उपस्थिति पं.स. वैर (भरतपुर) में दर्ज करवाकर पालना-रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करावें।
6. ए.सी.पी.मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव (जाँच)